सूखा सुरक्षा योजना वर्ष 2011 जनपद कन्नौज।

जनपद कन्नौज का सृजन सितम्बर , 1997 में हुआ था । इस जनपद में कुल तीन तहसीलें आठ विकास खण्ड व आठ नगरीय क्षेत्र हैं । जनपद में ग्रामीण क्षेत्र मे कुल 716 आबाद राजस्व ग्राम हैं तथा इन आबाद राजस्व ग्रामों में 2094 मजरे हैं , ग्रीष्म ऋतु में कुओं का जल स्तर कम हो जाता है , जिसके लिये पशुओं एवं जनसामान्य के लिये पानी की उपलब्धता शासकीय नलकूपों द्वारा तालाबों को भरा जाना , हैण्ड पम्पों को लगाया जाना , नहरों से तालाबों को भरा जाना , टैकरों के माध्यम से पेय जल आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है । इस जनपद में सामान्य तौर पर मानसून 20 जून के पश्चात् ही आता है । सूखा से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्य सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की रूपरेखा तथा क्रियान्वयन एवं दायित्यों का निर्धारण किया जा चुका है , जिसके लिये सूखा की स्थिति से निपटने हेतु दिनांक 14.3.2011को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। जिला स्तरीय अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने के उपरान्त निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई तथा दिशा निर्देश दिये गये :–

1– सूखा की स्थिति कन्ट्रोल रूम की स्थापना ।
2– अधिकारियों का उत्तरदायित्व।
3– पेयजल व्यवस्था ।
4– नगरीय क्षेत्र , ग्रामीण क्षेत्र में हैण्ड पाइप की व्यवस्था ।
5– टैकर की व्यवस्था ।
6– नलकूपों का रखरखाव ।
7– नहरों का रखरखाव ।
8– नियमित जलापूर्ति ।
9– विद्युत आपूर्ति ।
10– खाद्यान्न एवं डीजल की आपूर्ति की व्यवस्था ।
11– संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं चिकित्सा व्यवस्था ।
12– पशुओं में फैलने वाले रोगों की रोकथाम एवं पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था ।
13– खरीफ फसल ।
14– खरीफ फसलों में होने वाले रोगों की रोकथाम एवं कीटनाशक दवाओं का प्रबन्ध ।
15– सम्पूर्ण रोजगार योजना द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना ।
16– ग्रीष्म ऋतु में अग्निकांड की घटनाओं की रोकथाम की व्यवस्था ।

ग्रीष्म ऋतु आने पर तालाबों का पानी प्रायः सूख जाता है एवं हैण्डपम्पों का जलस्तर कम हो जाता है ,जिसके फलस्वरूप जनसामान्य एवं पशुओं तथा कृषि फसलों के लिये पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। इस विषम परिस्थितियों में जनसामान्य , पशुओं तथा किसानों को यथा सम्भव साधनों से पानी उपलब्ध कराये जाने की योजना बनाई गई है । पूरे जनपद मे सामान्य रूप से राजस्व विभाग , विकास विभाग एवं कृषि विभाग सूखा से सम्बन्धित सभी समस्याओं का आंकलन कराया गया है ।

सूखा की स्थिति घोषित होने पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों / सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी ,जिसके लिये प्रत्येक तहसील के उप– जिलाधिकारी अपनी तहसील से सम्बन्धित कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होंगे तथा सूखा राहत कार्यो का नेतृत्व करेंगे । इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी होने वाले निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

सूखा की स्थिति में कन्ट्रोल रूम की स्थापना :–

जिला मुख्यालय में एक कन्ट्रोल रूम जिसका फोन नम्बर 05694–234697,234371,9454416477 है। सूखा की स्थिति में 24 घण्टे कार्यरत रहेगा । इसके अतिरिक्त समस्त उप–जिलाधिकारी अवर्षण की स्थिति में अपनी तहसीलों में कन्ट्रोल रूम स्थापित करेंगे । सम्बन्धित विभागों द्वारा भी आवश्यकता पड़ने पर कन्ट्रोल रूम स्थापित करने की कार्यवाही की जायेगी। दूरभाष से आने वाली सूचनायें तथा किसी विशेष व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर तत्काल कार्यवाही सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

अधिकारियेां का उत्तरदायित्व :–

सूखा से सम्बन्धित बैठक दिनांक 14.3.2011 में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को उनके द्वारा सम्पादित कराये जा रहे कार्यो का निर्धारण सुनिश्चित कर दिया गया है । सूखा घोषित होने की स्थिति में समस्त अधिकारी /कर्मचारी अपने दायित्व का पालन करेंगे तथा अपनी ड्यूटी पर पहॅुच कर पूर्ण निष्ठा एवं सेवा भाव से कार्य प्रारम्भ कर देंगे ।

पेय जल व्यवस्था :–

पेय जल संकट उत्पन्न न होने पाये, इस हेतु सभी उप–जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों में उपलब्ध कुओं की संख्या तथा उनमें उपलब्ध पानी की मात्रा की रिपोर्ठ मंगवा लें और जहॉ कुओं की सफाई आदि आवश्यक हो उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करा ले ं। इन कुओं की सफाई नगरीय क्षेत्र में स्थानीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी सुनिश्चित करेंगे ।

जनपद में नगरपालिका/नगर क्षेत्र समितियों के अन्तर्गत जहॉ इस पानी की आपूर्ति पाइप लाइन के माध्यम से की जा रही है । प्रायः विद्युत आपूर्ति सही न होने के कारण मोटरें नहीं चल पाती हैं । फलस्वरूप पानी की टंकियों में पानी नहीं भर पाता है और इससे जल आपूर्ति वाधित होती है । अतः प्रस्तावित है कि नगर पालिकाओं एवं नगर क्षेत्र समितियों में नवीन हैण्डपम्प लगवाये जायें एवं नवीन नलकूपों में विद्युत संयोजन कराया जाये। व पुराने खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं हैण्डपम्पों की रिवोरिंग तत्काल करायेंगे । यह भी सर्वे किया जाये कि हैण्डपम्प कहॉ– कहॉ खराब पडे हैं उनकी सूची अपने प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा उस सूची में यह भी विवरण दिया जाये कि कौन सा हैण्डपम्प कब स्थापित हुआ है । हैण्डपम्पों की मरम्मत का कार्य तत्काल पूर्ण कर लिया जाये ।

नगरीय क्षेत्र में हैण्डपम्प की व्यवस्था :–

वर्तमान समय में नगरीय क्षेत्रों मे हैण्डपम्पों को अधिष्ठापित , रिवोरिंग/ मरम्मत का कार्य अधिशाषी अभियन्ता जलनिगम , नगर पालिका /नगर पंचायतों द्वारा किया जा रहा है ।नगरीय क्षेत्रों में 2761 हैण्डपम्प स्थापित हैं ,जिसमें 105 खराब हालत में हैं तथा 2656 सही हालत में हैं । अधिशाषी अभियन्ता जलनिगम तथा समस्त

स्थानीय निकाय के अधिकारी खराब हैण्डपम्पों को तत्काल सही कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

ग्रामीण क्षेत्र में हैण्डपम्प की व्यवस्था :–

जनपद में वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में 23095 हैण्डपम्प स्थापित हैं । अधिशाषी अभियन्ता जलनिगम तथा खण्ड विकास अधिकारी तत्काल खराब हैण्डपम्पों की सूची बनाकर मुख्य विकास अधिकारी उपलब्ध कराये । खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने के लिये एक योजना तैयार करा लें। खराब हैण्डपम्पों को तत्काल ठीक कराये जाने की कार्यवाही की जाये।

टैंकर की उपलब्धता :–

इस समय नगर पालिका कन्नौज के पास 3 टैंकर छिबरामऊ के पास 2 टैंकर गुरसहायगंज के पास 3, नगर पंचायत तिर्वा के पास 1, नगर पंचायत समधन में 2 टैंकर तथा सिकन्दरपुर एवं तालग्राम में 1–1 टैंकर उपलब्ध है। सभी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका एवं नगर पंचायत अपने टैंकर ग्रीष्म ऋतु में चालू हालत में रखेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर जिन क्षेत्रों में पानी ज्यादा किल्लत है ,में समय से जलापूर्ति सुनिश्चित करने की कार्यवाही बैठक दिनांक 14.3.11 में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेंगे । इस सम्बन्ध में भी भ्रमण कर लिया जाये कि जिससे यह ज्ञात हो सके कि पानी की समस्या किन क्षेत्रों में ज्यादा है ।

नलकूपों का रखरखाव :–

जनपद में वर्तमान समय में 222 राजकीय नलकूप स्थापित हैं ,जिसमें 03 यान्त्रिक दोष से तथा 04 विद्युत दोष से खराब हैं। सम्बन्धित विभाग यान्त्रिक दोष से खराब हैण्डपम्प चालू हालत में कराये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा विद्युत दोष से खराब हैण्डपम्प विद्युत विभाग द्वारा सही कराये जायेगे। यह भी सुनिश्चित किया जाये नलकूप चालक अपनी ड्यूटी पर समय से उपस्थित रहें । अधिशाषी अभि0 नलकूप सूखे की स्थिति को देखते हुए नलकूपों के यान्त्रिक दोष को ठीक करने हेतु आवश्यक सामान जैसे– वाइन्डिंग वायर ,स्पेयर पार्टस आदि का प्रबन्ध पहले से सुनिश्चित कर लें ।

निजी नलकूपों से सूखे पड़े तालाबों को कृषकों के सहयोंग से खण्ड विकास अधिकारी अपने–अपने पड़ने वाले क्षेत्र में भरने की कार्यवाही करायेंगे । नलकूपों से भी तालाबों से भरेने अथवा सींच कराने की कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी करायेंगे । समस्त खण्ड विकास अधिकारी सरकारी नलकूपों पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की नियुक्ति की तैनाती करने एवं सरकारी नलकूपों की कमी से अधि0 अभि0 नलकूप को अवगत कराने की कार्यवाही करेंगे। नलकूपों का सत्यापन प्रत्येक सप्ताह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी /लेखपाल करेंगे । कितने नलकूप खराब हैं इसकी आख्या उप–जिलाधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी समीक्षा करके मुख्य विकास अधिकारी को देंगे कि नलकूप का संचालन ठीक हो रहा है अथवा नहीं । यदि कोई आपरेटर नहीं पाया जाता है तो नाम सहित सूचना उपलब्ध करायेंगे ।

नहरों का रखरखाव एवं नियमित जलापूर्ति :–

जनपद कन्नौज में सिचांई खण्ड फर्रूखाबाद की 35 मैनपुरी प्रखण्ड निचली गंगा नहर कन्नौज की 11 एवं सिचाई खण्ड कानपुर की 2 , कुल 48 नहरें हैं । नहरों के माध्यम से सिचाई विभाग एवं नलकूप खण्ड द्वारा ग्रीष्म ऋतु मे सूखे पडे तालाबों के भरने की कार्यवाही की जायेगी । नलकूप निरन्तर चालू हालत में रख्ाा जाये उसके साथ ही जो भी तालाब /पोखर भरा जाये उसकी सूची सम्बन्धित तहसीलदारों

को उपलब्ध कराई जाये । तहसीलदारों द्वारा भरे हुए तालाबों को लेखपाल के माध्यम से चेक कराने की कार्यवाही करायी जायेगी । खरीफ की फसलों सींच दिये जाने हेतु नहरों का महत्व पूर्ण योगदान है । अतः खरीफ फसलों में सींच दिये जाने हेतु नहरों का महत्वपूर्ण योगदान है । अतः खरीफ फसलों में सींच दिये जाने हेतु नहरों को रोस्टर के अनुसार पूर्ण क्षमता से चलाया जाये। तालाबों को भरा जाने में यदि कोई कठिनाई आती है तो इसके निराकरण की कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी एवं तहसीलदार तथा सिचाई विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से सम्पादित करायें । प्रायः यह देखा गया है कि सूखे के दौरान सींच की समस्या हेतु अराजक तत्वों एवं कृषकों द्वारा नहरों का पानी टेल तक नहीं पहुॅचने दिया जाता है । बीच में ही नहरों का कटान एवं बन्धे लगाने की कार्यवाही की जाती है। इस स्थिति को रोकने के लिये नहर विभाग में कार्यरत कर्मचारी दिन एवं रात में नहरों की पेट्रोलिंग करके कटिंग एवं बन्धों की प्रक्रिया रोकने में प्रभावी कार्यवाही करेंगे। इस हेतु जहां आवश्यक हो जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की सहायता भी ली जाय, प्रायः यह देखा गया है कि नहरों की कटिंग के प्रकरणों की प्रथम सूचना रिपोर्ट थानों में दर्ज नहीं की जाती है। पुलिस अधीक्षक इस व्यवस्था के लिये सम्बन्धित थानों में निर्देश जारी कर दें ।

विद्युत– आपूर्तिः–

अधिशाषी अभियन्ता सूखे की स्थिति के दौरान विद्युत आपूर्ति पर कड़ी नजर रखेंगे। जनपद में जिन क्षेत्रों में ट्रान्सफार्मर लगे हुये हैं,लोड एवं अधिक बोल्टेज के कारण ट्रान्सफार्मरों के खराब होने की स्थिति आती है । अधिशाषी अभियन्ता विृद्युत ,ट्रान्सफार्मर खराब होने की स्थिति में उन्हें सही कराने की कार्यवाही 24 घण्टे में करायेंगे। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में एवं ग्रामीण क्षेत्र में जहां पानी की टंकिया बनी हुई हैं तथा वाटर सप्लाई किया जाता है, मे भी पर्याप्त नियमति विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे ।इस जनपद में 222 राजकीय नलकूप स्थापित हैं। यदाकदा इन नलकूपों में विद्युत दोष से खराबी होती रहती है। अधिशाषी अभियन्ता विद्युत इन नलकूपों को समय से ठीक कराने की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत अपने सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश भी दे दें।

खाद्यान्न एवं डीजल की आपूर्तिः–

जनपद में सरकारी नलकूपों के अतिरिक्त निजी नलकूपों कर मात्रा काफी है। जिसके लिये डीजल की आवश्यकता पड़ती है। जिला पूर्ति अधिकारी प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्धता वनाये रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे तथा प्रत्येक डीजल पम्प पर निर्धारित मात्रा में **डीजल 3000** लीटर तथा **2000 लीटर पेट्रोल** आरक्षित करेंगे। जिसका वितरण जिला पूर्ति अधिकारी ,उप जिलाधिकारी व तहसीलदारों की मांग के आधार पर किया जायेगा। सूखा की स्थिति में खाद्यान्न आदि का वितरण सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से कराया जायेगा। जनपद में 05 थोक विक्रेता मिटटी के तेल के कार्यरत है सूखा की सम्भावित स्थिति में सभी थोक मिटटी तेल विक्रेताओं को आपदा की स्थिति से निपटने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये है कि वह अपने रिजर्व स्टाक में पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल रखें। पी0डी0एस0 के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद में पर्याप्त गेंहूॅ तथा पर्याप्त चावल उपलब्ध है। उक्त खद्यान्न जनपद के खड़िनी एवं छिबरामऊ की गोदामों में भण्डारित है जो आवश्यकता पड़ने पर आपदा की स्थिति में विभिन्न स्थानो के लिये ब्लाक स्तर पर प्रेषण किया जा सकेगा। वर्तमान में जनपद में खद्यान्न की कोई कमी नही है। जिला पूर्ति अधिकारी खाद्यान्न वितरण प्रणाली में

पारदर्शिता वनाये रखने हेतु कोटेदारों के विरूद्व शिकायत पाये जाने पर आकस्मिक चेकिंग करेंगे तथा गड़वड़ी पाये जाने पर कार्यवाही करेगे। इस सम्बन्ध में अभियान भी चलाया जाय।

<u>संक्रामक रोगों की रोकथाम :–</u>

ग्रीष्म ऋतु में संक्रामक रोगो जैसे हैजा, अतिसार,मलेरिया,मस्तिस्क ज्वर,डेंगू ज्वर आदि संक्रामक रोगों की रोकथाम मुख्य चिकित्साधिकारी करेंगे। गन्दे व दूषित खाद्य पदार्थो,दूषित गन्ने का रस ,सड़े गले फलों व खुले खाद्य पदार्थो की विक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। मुख्य चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षको के माध्यम से यह कार्यवाही सुनिश्चित करेगे। पेय जल हेतु आपूर्ति किये जाने वाले पानी के नमूने लेने की व्यवस्था करे तथा इस बात का ध्यान रखे के पानी में समुचित मात्रा में क्लोरीन,ब्लीचिंग पाउडर मिलाई जाती रहे। कुओं में डालने हेतु लाल दवा भी मुख्य चिकित्साधिकारी उपलब्ध करायेगे। मुख्य चिकित्साधिकारी संक्रामक रोगो हेतु निरोगात्मक/उपचारात्मक कार्यवाही प्रभावी ढंग से किये जाने हेतु समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो तथा जिला मुख्यालय स्तर पर औषधियों /विद्याक्रमंको की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता बनाये रखेगे। बैठक दिनांक 14.3.11 में दिये गये निर्देशो के अनुसार मच्छर नियन्त्रक कार्यवाही के तहत् फागिंग मशीन सभी क्षेत्रों में कराये जाने हेतु समस्त स्थानीय निकायो के अधिकारी कार्यवाही सुनिश्चित करेगे। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय के अधिकारी बन्द पड़ी नाली ,वहता हुआ दूषित जल की चेंकिग करके सफाई व्यवस्था दिये गये निर्देशो के अनुसार करायेगे ।

<u>प ाुओं में फैलने वाले रोगों की रोकथाम एवं प ाओं के लिये चारे की व्यवस्था</u> :

ग्रीष्म ऋतु मे पशुओ की बीमारियों की रोकथाम के लिये मुख्य पशु चिकित्साधिकारी टीकाकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे । सूखे की स्थिति में पशुओं में जनहित समस्याओं से निपटने हेतु पूर्व से कार्यवाही प्रारम्भ की जाये , जिसक लिये पशुपालन विभाग द्वारा चौपालों एवं पशुगोष्ठियों के माध्यम से पशुपालकों को सूखे की स्थिति से निपटने के लिये उचित एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराई जाये । सूखे की स्थिति में अत्यधिक गर्मी एवं लू के कारण पशुओं में हीटोस्टोक एवं एक्यूटडी हाइड्रेशन की समस्या खुरपका ,मुॅहपका रोग , गला घोटू रोग एवं परजीवी कीटाणुओं की समस्या उत्पन्न होती है । मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी इन रोगों के नियन्त्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही अभी से कर लें तथा सूखे की स्थिति से हरे चारे में जहरीले पन की स्थिति उत्पन्न होने पर पशुपालकों को चौपालों , पशुगोष्ठियों एवं पशुमित्र मण्डलीयों के माध्यम से विशेष जानकारी की जाने की व्यवस्था मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सुनिश्चित करेंगे। पशुओं के लिये चारे में मुख्य रूप से भूसे की आवश्यकता होती है । वर्तमान समय में किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध है । फिर भी जिला पशुधन अधिकारी अपने पशु चिकित्सालयों एवं खण्ड विकास कार्यालयों में चारे की व्यवस्था सूनिश्चित करेंगें । इस सम्बन्ध में धनाबंटन की मॉग से शासन से अभी से कर ली जाये ।

<u>खरीफ फसल :–</u>

जनपद में कुल क्षेत्रफल 208963 हेक्टेयर में 140325 हेक्टेयर शुद्ध रूप से कृषि के अन्तर्गत आच्छादित होता है । गत वर्ष जनपद में सूखे की स्थिति नहीं रही थी । जनपद का सिंचित क्षेत्रफल 80 प्रतिशत है । जनपद में वर्षा का आगमन प्रायः 20 जून से होता है , जो पूर्वीय बंगाल की खाड़ी में मानसून सक्रिय होने तथा इसके

पश्चात् अगस्त में दक्षिण भाग में मानसून सक्रिय होने के कारण वर्षा होती है । जनपद में वर्षा की 4 स्थितियॉ सम्मिलित हैं । ग्रीष्म ऋतु में सूखा की स्थिति से पूर्व जिला कृषि अधिकारी खाद बीज उर्वरक आदि की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित कर लें । ताकि सूखा की स्थिति मे कृषकों को खाद बीज उर्वरक आदि मुहैया कराने में न्यूनतम असुविधा हेा । इस सम्बन्ध में शासन से धनावन्टन आदि की मॉग अभी से कर ली जाये । जिला कृषि अधिकारी एवं समस्त उप– जिलाधिकारी सूखे की स्थिति होने की दशा में फसलों की क्षति होने पर शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के निर्धारण के लिये जायद एवं खरीफ की फसलों की सही प्रकार से पडताल करेंगे तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रफल एवं उसमें फसल की क्षति का निर्धारण करते हुए कृषकों को देय सहायता का प्रस्ताव मुख्यालय को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायेंगे

<u>1– मानसूनी वर्षा विलम्ब से होने की द ाा मे :–</u>

जनपद में वर्षा सामान्यतः जून के द्वितीय पक्ष से प्रारम्भ होती है लेकिन यदि वर्षा समय से प्रारम्भ नहीं होती है तो खरीफ उत्पादन में सम्भावित क्षति को रोकने अथवा कम करने के लिये निम्न आकस्मिक योजना कियान्वयन की जायेगी ।

अ यदि वर्षा विलम्ब से अथवा 30 जून के बाद प्रारम्भ होती है तो ऐसी स्थिति में धान की अधिक उपज उपजदायी मध्यम अवधि की एन0डी0आर0 359, सीजू 52, पन्त 4, पन्त 10, सीता आई0आर0 8 , पी0एन0आर0 381, आदि प्रजातियों की समय से बुबाई , बोई गई नर्सरी की रोपाई देर तक करनी होगी । विलम्ब तक रोपाई करने पर पौधे से पौधे की दूरी कम करके एक स्थान पर 3–4 पौधे तथा एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 65 से 70 स्थानों पर रोपाई कराई जाये ।

ब यदि मानसूनी वर्षा जुलाई के बाद अथवा अधिक विलम्ब से होती है तो उस स्थिति में धान की कम अवधि मे तैयार होने वाले प्रजाति जैसे साकेत 4 , नरेन्द 80 , नरेन्द 97, नरेन्द 118 , पन्त 12, आदि प्रजातियों की रोपाई कराई जाये ।

स धान वाले क्षेत्रों तथा निचले क्षेत्रों में यदि 15 जुलाई के बाद वर्षा होती है और रोपाई के लिये नर्सरी उपलब्ध नहीं होती है तो उस स्थिति मे जल्दी पकने वाली धान जैसे– साकेत 4 , नरेन्द 80, नरेन्द 97, पन्त 12, आई0आर 50 आदि प्रजातियों सीधी बुवाई कराई जाये ।

द यदि मानसूनी वर्षा अति विलम्व से होती है और जुलाई के वाद माह में धान की रोपाई/बुवाई न होने के कारण खेत खाली रह जाते हैं तो उस दशा मे कम तैयार होने वाले वाजरे की शंकर /शंकुल प्रजातियों , उर्द , मूॅग तथा तिल की बुवाई कराई जाये । इसके लिये आवश्यक है कि इन फसलों की क्षेत्र विशेष के लिये उपर्युक्त प्रजातियों के बीजों की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाये तथा खरीफ फसलों के अन्य कृषि निवेश जैसे–उर्वरक कृषि रक्षा रसायन क्रय के लिये किसानों को और अधिक फसली ऋण की व्यवस्था का प्रबन्ध कर लिया जाये और इसकी उपलब्धता देय राजकीय सुविधाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये ,जिससे प्रभावित किसान इससे भरपूर लाभ उठा सके ।

<u>2–मानसूनी वर्षा समय से प्रारम्भ होने के बाद बीच में अवर्षण होने की द ाा में :–</u>

कभी–कभी खरीफ में वर्षा समय से प्रारम्भ होने के बाद बीच में रूक जाती है और यदि अवर्षण की स्थिति 10 से 15 दिनों से अधिक होती है तो बोई गई फसलें सूखने लगती हैं ऐसी स्थिति में :–

अ फसलो कों बचाने के लिये सुरक्षात्मक सिचाई की व्यवस्था परम आवश्यक है , जिसके लिये :—

क नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुॅचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

ख नहरों में अवैध कटानों पर नियन्त्रण कराया जाये

ग समस्त राजकीय नलकूपों को चालू हालत में रखा जाये

घ खराब होने वाले नलकूपों की तुरन्त मरम्मत कराई जाये

ड़ डीजल /विद्युत की नियमित आपूर्ति कराई जाये

इस प्रकार से सिंचाई के उपलब्ध समस्त साधनों का उपयोग करते हुए फसलों की क्षति को बचाया जाये आवश्यक होगा कि इस अवधि में उपरोक्त संसाधनों के चलते रहने की समय से समीक्षा की जाती रहे ।

ब यदि बीच में अवर्षण की स्थिति के कारण कुछ फसलें सूख जाती हैं तो वाद में वर्षा होने की दशा मे कम समय में तैयार होने वाली शंकर वाजरा , उर्द मॅूग तथा तिल की फसलों की बुवाई कराई जाये ।

स खडी फसलों वाले खेतों में भूमि में नमी संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये ।फसलों में इन्टर कल्चर एवं मल्चिक क्रियाओं के लिये प्रेरित किया जाये ।

द यदि अवर्षण की स्थिति अगस्त के तीसरे सप्ताह मे बनी रहती है तो इस दशा में उर्द एवं तिल की बुवाई की जाये तथा सितम्बर के प्रथम पखवारे में राई /सरसों तथा तोरिया की बुवाई कराई जाये ।

3— मानसूनी वर्षा समय से पहले समाप्त होने की द ाा में :—

जनपद में वर्षा सामान्यतः 30 जून से प्रारम्भ होकर सितम्बर तक होती है और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में छुट—पुट वर्षा हो जाती है । कभी—कभी यह मानसून वर्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह या सितम्बर माह में ही समाप्त हो जाती है । खरीफ की प्रमुख धान को भारी छति हो सकती है । इस सम्भावित क्षति को रोकने के लिये :—

अ वर्षा का जो पानी संचय वांधों में उपलब्ध है उसको फसलों को बचाने के लिये प्रयोग किया जाये ।

ब नहरों तथा नलकूपों की नालियों को ठीक दशा में रखा जाये । जल की कम से कम क्षति हो ।

स खेतो में जुताई डाल के विपरीत की जाये तथा किसानों को इस बात के लिये प्रेरित किया जाये कि वह खाली खेतों की जुताई सायं काल करके अगले दिन प्रातः पाटा लगायें ,जिससे रात में पडी ओस को नमी के रूप में अधिक नम संचय हो सके ।

4— मानसूनी वर्षा सामान्य से अधिक होने तथा जलमग्नता की स्थिति में :—

यदि सामान्य से अधिक वर्षा होती है तो जलभराव की स्थिति हो सकती है इसके फलस्वरूप समय से बोई हुई धान की नर्सरी या रोपी गई धान की फसलें बह जाती हैं और यदि जल भराव की स्थिति अधिक समय तक बनी रह जाती है तो बोई हुई अन्य फसलें भी नष्ट हो जाती हैं ।

अ सामान्यतः जलभराव वाले क्षेत्र पहले से ही मालूम रहते हैं उन क्षेत्रों में धान की प्रजाति मंसूरी टा—36, टा 100 एवं कास 116 जलनहरी मधुकर , जलप्रिया , जलनिधि आदि को प्राथमिकता दी जाये ।

ब अधिक वर्षा से फसले नष्ट हो जाती हैं तो उनकी दुवारा रोपाई/बुवाई मे इस बात का ध्यान रखा जाये ऐसी स्थिति में उन्‍पजातियों को बोया जाये जो जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं ।

स यदि अगस्त के महीनें में अधिक वर्षा के कारण जलमग्नता की स्थिति आती है तो बाढ़ के कम होने तुरन्त बाद यूरिया की ट्रापडेसिंग कराई जाये क्योंकि इससे काफी सीमा तक फसलों की क्षति कम हो सकती है । यदि बाढ की स्थिति सितम्बर माह के प्रारम्भ में आती हो तो इस दशा मे उर्द , मूँग, तोरिया , सूरज मुखी को विशेष रूप से बढावा दिया जाये । जिला कृषि अधिकारी सूखे की स्थिति के समय इन स्थितियों पर नजर रखेंगे तथा सूखे की स्थिति से निपटने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार कराने की कार्यवाही करायेंगे ।

<u>खरीफ फसलों में होने वाले रोगों की रोकथाम हेतु कीटना ाक दवाओं का प्रबन्ध :–</u>

जिला कृषि रक्षा अधिकारी खरीफ फसलों में होने वाले रोगों के नियन्त्रण के लिये सभी विकास खण्डों में पर्याप्त मात्रा में रसायन उपलब्ध करायेंगे । इनके वितरण की कार्यवाही विकास खण्ड स्तर पर कृषि रक्षा इकाई के माध्यम से तैनात विकास अधिकारी (रक्षा) एवं कृषि रक्षा पर्यवेक्षक के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड में स्थिति कृषि रक्षा रसायनों के निजी विक्रेताओं द्वारा भी कृषि रक्षा रसायनों के वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।

<u>सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना</u> :–

ग्राम विकास विभाग सूखे के पूर्व अपने विभाग की योजनाओ व कार्यो की तैयारी अभी से करना सुनिश्चित करें , जनपद में खण्डवार योजनाओं व कार्यो का प्रारूप तैयार कराकर रखा जाये जिसके आधार पर आवश्यकता पड़ने पर जरूरत मन्द लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके । इसके अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु में तालाबों को गहरा करना ,भरवाया जाना आदि कार्यो को रोजगार परक योजनाओं में सम्मिलित कर लें ।

<u>ग्रीष्म ऋतु में अग्निकांड की घटनाओं की रोकथाम की व्यवस्था</u> :–

ग्रीष्म ऋतु में सूखे पदार्थो की अधिकता के कारण आग लगने की सम्भावनाओ में भी बृद्धि होती है जिससे जीवन, आवास, पशु और फसल की हानि होती है इसके लिये आवश्यक है कि अग्निकांड न्यूनीकरण हेतु आम लोगो को जागरूक बनाया जाये एवं आवश्यकता पडने पर अग्निशमन सेवाओं का तत्काल उपयोंग हो सके । इसकी व्यवस्था पुलिस अधीक्षक पहले से ही सुनिश्चित कर लें ।

सभी जनपद स्तरीय अधिकारी अपने विभाग में जिन कार्यो हेतु धन आदि की मॉग की जानी हो अभी से करना सुनिश्चित करें वर्ष 2002 , 2004 व 2009 के सूखे के अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए यह मानकर चलना चाहिये कि यदि सूखा की स्थिति आती है तो उससे पूर्व सभी तैयारियां अभी से पूर्ण कर ली जायें । सूखा घोषित किये जाने के पश्चात सूखा राहत कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जायेगा तथा सभी सम्बन्धित अधिकारी /कर्मचारी अपनी–अपनी ड्यूटी पर पहुॅच कर राहत कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करेंगे । सूखे से उत्पन्न समस्या की जानकारी सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/जिला मुख्यालय को संगत सूचनाओं सहित अवश्य दी जायें ताकि समस्या के निराकरण मे विलम्ब न हो और कार्यवाही में तेजी आ सके ।

जनपद– कन्नौज के प्रमुख अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर

क्रम0सं0	अधिकारी का पद नाम	कार्यालय	आवास	मो0न0
1	जिलाधिकारी	235474	234500	9454417555
2	पुलिस अधीक्षक	234808	235439	9454400287
3	अपर जिलाधिकारी वि0/रा0	234697	235960	9454417626
4	मुख्य विकास अधिकारी	235898	235897	9454464991
5	उप जिलाधिकारी कन्नौज	235473	234220	9454416467
6	उप जिलाधिकारी छिबरामऊ	05691 220879	05691 220879	9454416468
7	उप जिलाधिकारी तिर्वा	261800	261122	9454416469
8	तहसीलदार कन्नौज	235473	235473	9454416470
9	तहसीलदार छिबरामऊ	220879	–	9454416471
10	तहसीलदार तिर्वा	261800	–	9454416472
11	अधि0 अभि0 जलनिगम	234671	–	9473942759
12	अधि0 अभि0 विद्युत	234665	–	941590971
13	अधि0 अभि0 नलकूप	235197	–	9415144731
14	जिला कृषि अधिकारी	235898	–	9455863800
15	परियोजना निदेशक	235898		9415066322
16	मुख्य चिकित्साधिकारी	237316		9415467776
17	जिला समाज कल्याण अधिकारी	237476		9839726908
18	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	236869		9415484812
19	जिला सूचना अधिकारी	234697		9453005388
20	जिला पंचायत राज अधिकारी	234774		9415235589
21	खण्ड विकास अधिकारी कन्नौज	235541		9454464998
22	खण्ड विकास अधिकारी जलालाबाद	272436		9454464997
23	खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ	05691 221024		9454464994
24	खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम	253972		9454464995
25	खण्ड विकास अधिकारी सौरिख	248091		9454464996
26	खण्ड विकास अधिकारी उमर्दा	261116		9454465004
27	खण्ड विकास अधिकारी हसेरन	273033		9454465003

28	खण्ड विकास अधिकारी गुगरापुर		9839355535	9454465005
29	अधि0 अधिकारी नगर पालिका कन्नौज	234616	234432	9454416466
30	अधि0 अधिकारी नगर पालिका छिबरामऊ	220539		9450105494
31	अधि0 अधिकारी नगर पालिका गुरसहायगंज	05691 253538		9411020808
32	अधि0 अधिकारी नगर पंचायत तिर्वागंज	261759		9454142378
33	अधि0 अधिकारी नगर पंचायत तालग्राम	05691 242025		—
34	अधि0 अधिकारी नगर पंचायत सौरिख	05691 263306		9936316362
35	अधि0 अधिकारी नगर पंचायत समधन	05691 253583		9794149884
36	अधि0 अधिकारी नगर पंचायत सिकन्दरपुर	05691 220539		9451388840

क्लोज्ड यूजर ग्रुप सेवा के मोबाइल नम्बर (राजस्व विभाग)

क्रम0सं0	अधिकारी का पद नाम	मोबाइल नम्बर
1	जिलाधिकारी कन्नौज	9454417555
2	अपर जिलाधिकारी कन्नौज (वि0/रा0)	9454417626
3	उप जिलाधिकारी सदर	9454416467
4	उप जिलाधिकारी छिबरामऊ	9454416468
5	उप जिलाधिकारी तिर्वा	9454416469
6	अपर उप जिलाधिकारी	9454416466
7	तहसीलदार कन्नौज	9454416470
8	तहसीलदार छिबरामऊ	9454416471
9	तहसीलदार तिर्वा	9454416472
10	तहसीलदार न्यायिक	9454416473
11	नायब तहसीलदार कन्नौज	9454416474
12	नायब तहसीलदार छिबरामऊ	9454416475
13	नायब तहसीलदार तिर्वा	9454416476

क्लोज्ड यूजर ग्रुप सेवा के मोबाइल नम्बर (पुलिस विभाग)

क्रम0सं0	अधिकारी का पद नाम	मोबाइल नम्बर
1	पुलिस अधीक्षक कन्नौज	9454400287
2	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401080
3	क्षेत्राधिकारी सदर	9454401474
4	क्षेत्राधिकारी तिर्वा	9454401476
5	क्षेत्राधिकारी छिबरामऊ	9454401475
6	थानाध्यक्ष कोतवाली कन्नौज	9454403683
7	थानाध्यक्ष कोतवाली तिर्वा	9454403687
8	थानाध्यक्ष गुरसहायगंज	9454403681
9	थानाध्यक्ष छिबरामऊ	9454403680
10	थानाध्यक्ष ठठिया	9454403686
11	थानाध्यक्ष इन्दरगढ	9454403682
12	थानाध्यक्ष तालग्राम	9454403685
13	थानाध्यक्ष सौरिख	9454403684
14	थानाध्यक्ष विशुनगढ	9454403688